	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE** **Extraordinary**
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	फाल्गुन 23, शुक्रवार, *शाके* 1941–मार्च 13, 2020 *Phalguna 23, Friday, Saka 1941–March 13, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9 विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 12, 2020

संख्या प.20(2)गृह–9/12 पार्ट2:- यतः राज्य सरकार की यह राय है कि 108 आपात कालीन सेवाओ के साथ साथ 104 जननी एक्सप्रेस बेस एम्बूलेंस एवं 104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवाओं में हडताल होने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा और उसके परिणामस्वरूप समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पडेगा।

अतः अब राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से 108 आपात कालीन सेवाओ के साथ साथ 104 जननी एक्सप्रेस बेस एम्बूलेंस एवं 104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवाओं जिनका संचालन सेवा प्रदाता कम्पनी जीवीके ईएमआरआई के माध्यम से इनिटग्रेटेड एम्बूलेंस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है के समस्त कार्यालय एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओ को एतद्द्वारा दिनांक 14.03.2020 से आगामी छः माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से
पी.सी. बेरवाल,
विशिष्ठ शासन सचिव

3164

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।